



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 कार्तिक 1939 (श0)  
(सं0 पटना 1053) पटना, सोमवार, 13 नवम्बर 2017

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 नवम्बर 2017

एस०ओ० 265, दिनांक 13 नवम्बर 2017—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा 15 की उप-धारा (1क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं कि अधिनियम के अधीन देय कर के बदले एक नियत राशि का विकल्प देने वाले किसी व्यवसायी द्वारा दिनांक 2017 के अप्रील की पहली तारीख को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास हेतु देय राशि रु० दो हजार पाँच सौ मात्र होगी।

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2010-4043)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 नवम्बर 2017

एस०ओ० 266, एस०ओ० 265, दिनांक 13 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2010-4043)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

**13<sup>th</sup> November 2017**

S.O. 265, dated 13<sup>th</sup> November 2017—In exercise of the powers conferred under sub-section (1A) of Section 15 of the Bihar Value Added Tax Act. 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to specify that dealers opting to pay a fixed amount in lieu of the tax payable by them shall pay an amount of two thousand and five hundred rupees in respect of the first quarter of the financial year commencing on the first day of April, 2017.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan-02/2010-4043)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 1053-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>